

पत्र संख्या : ७ब/२७०१ गै०यो० ज० सं० ०१/२०१२..... २३४

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव – सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग , रॉची ।

रॉची, दिनांक १८-३-१३

विषय :— वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के मांग संख्या— ४९ जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-२७०१- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-००१ निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-०१-मुख्यालय सचिवालय स्थापना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष २७०१- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग / २७०१-मध्यम सिंचाई	८० सामान्य / ००१-निदेशन तथा प्रशासन	०१-मुख्यालय सचिवालय स्थापना	०.००

अतिरिक्त आवंटित राशि – रूपये शून्य

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ २५०.९३ लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक ११/बी० टी० ई०- ०४/२०१२/३१०/बजट दिनांक १७.०९.१२) एवं पुनर्विनियोग (जल संसाधन विभाग का प० १६३० दि० १४.०३.१३) से प्राप्त राशि कमशः ₹ ०.०५ लाख एवं ₹ ०.०० सहित कुल ₹ २५०.९८ लाख (दो करोड़ पचास लाख अंडानबे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- विषयान्तर्गत शीर्ष में पुनर्विनियोग से ₹ ०.८५ लाख प्रत्यर्पित कर उक्त राशि ०७६०-विधि प्रभार मद में प्राप्त की गयी है जिससे इन विस्तृत शीर्षों में बजट उपबंध कमशः ₹ ३.५० लाख से घटकर ₹ २.६५ लाख एवं ₹ १.०० लाख से बढ़कर ₹ १.८५ लाख हो जायेगी।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९८६ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक १५.११.२००० के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

१८८६
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

८०
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

८०
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

८०
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

8. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
9. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त

११
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२३४

रॉची, दिनांक :- १८-३-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

१२
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

११४

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहा. अभि०

६१

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि०)

४४

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

१११

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

१११

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

गांग संख्या-48-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-001-निवेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना

वित्तीय वर्ष		विस्तृत शीर्ष-01-देतन एवं भर्ते		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शीर्ष-04-गोटरगाइयां		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय		(आवंटित राशि लाख रुपये में)								
को	सं०	वेतन	जीवन यापन	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल० ट० देशीय यात्रा	कार्यालय	किसिया दरे	पर्यानी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	शीर्ष-04-गोटरगाइयां	शीर्ष-07-अन्य व्यय	विधि प्राप्त	कुल योग	आवंटित राशि लाख रुपये में)		
कार्यालय का नाम		वेतन		भर्ता		व्यय		कर		उपकरण		मोटरगाइया		विधि प्राप्त		आवंटित राशि लाख रुपये में)		
विष्ट्र कोड		→		49N270180001010101		49N270180		49N2701		49N270180		49N27018		49N27018		49N270180		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	150.54	83.14	233.68	0.05	0.50	3.00	5.00	0.75	1.00	1.00	1.50	3.50	1.00	250.98			
1	2	150.54	83.14	233.68	0.05	0.50	3.00	5.00	0.75	1.00	1.00	1.50	3.50	1.00	250.98			
		व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रेंची ।			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.85	0.85	0.00			
		कुल आवंटन			150.54	83.14	233.68	0.05	0.50	3.00	5.00	0.75	1.00	1.00	1.50	2.65	1.85	250.98

अतिरिक्त आवंटित राशि— रुपये शून्य

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अधिकारी

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अधि०)

(सुरेश प्रसाद भगत)

संयुक्त सचिव (अधि०)

(वी० सी० निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शातपथी)

प्रधान सचिव

परिशिष्ट 1

पत्रांक 234. दिनांक 18-3-2013 का अनुलग्नक

(आवंटित राशि लाख रुपये में)